नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय

लव-कुश नगर, मूंदी रोड़, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष-0733-2245000, Fax-0733-2245001

Email: deangmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

क्रमांक / /स्थापना तृ.च. / 2023 खण्डवा, दिनांकः /01 / 2023

//कार्यालयीन आदेश//

संचालक चिकित्सा शिक्षा भोपाल का पत्र क्र./2926–37/स्था/नर्सिंग/2022 भोपाल दिनांक 08/12/2022 अनुसार प्राप्त शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय इंदौर से बी.एस.सी नर्सिंग परीक्षा उत्तीर्ण छात्राएं जो शासकीय सेवा के लिए अनुबंधित (बाण्डेड) हैं कि सेवायें शासकीय–स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में नर्सिंग ऑफिसर (स्वशासी) के पद पर अनंतिम रूप से नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने से दिनांक से प्रथम 03 माह के लिए निश्चित पारिश्रमिक रूपये 10,000/– प्रतिमाह पर की जावेगी। 03 माह पश्चात नर्सिंग ऑफिसर की परीक्षा ली जावेगी परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात सातवे वेतनमान में तालिका लेवल–7 (28700–91300) अनुसार प्रतिमाह एवं समय समय पर स्वीकृत भत्तों पर तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निम्नानुसार पदस्थ किया जाता हैः–

क्र.	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	जाति
1.	अदिती शुक्ला/श्री अनिल कुमार शुक्ला	अनारक्षित
2.	नंदिता मंडल/श्री रंजीत मंडल	अनारक्षित
3.	शिवानी राठी/श्री बिरबान राठी	अजजा
4.	अंजली जाधव/श्री रूस्तम जाधव	अजजा

आपकी नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगीः–

1. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के तत्काल बाद जिला चिकित्सालय खण्डवा के समक्ष उपस्थित होकर स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा एवं स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा आदर्श नियम 2018 सह चिकित्सीय संवर्ग के नियम लागू होंगे।
3. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–9/3/2005/नियम/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार आप पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होंगे एवं मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5/1/2005/नियम/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम भी लागू नहीं होंगे। आप पर एनपीएस लागू होगा।
4. चयनित प्रत्याशी को आदेश जारी होने के दिनांक से अधिकतम 15 दिवस में अनिवार्यतः कार्यभार ग्रहण करना होगा। कार्यभार ग्रहण ना करने की दशा में अनुबंध अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जावेगी।
5. आपकी सेवायें किसी भी समय नियोक्ता द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी।
6. स्टाफ नर्स की नियुक्ति प्रथम 03 माह के निश्चित पारिश्रमिक रुपये 10,000/–प्रतिमाह पर की जावेगी। 03 माह पश्चात स्टाफ नर्स की परीक्षा ली जावेगी परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात ही अभ्यर्थियों को नियमित स्थापना के पदों में नियुक्त किया जावेगा। नियमित स्थापना पश्चात आपकी नियुक्ति म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक सी,3–13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12.12.2019 में दिए गए निर्देशानुसार 03 वर्ष की परिविक्षा अवधि पर होगी। परीविक्षा अवधि में स्टाफ नर्स के पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परीविक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।
7. आपके द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण पत्र/अभिलेख गलत पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
8. आपकी वरिष्ठता संस्था की वरिष्ठता कमानुसार ही रहेगी।
9. इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति/जनजाति/अपिव/महिला के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है।
10. आपकी नियुक्ति इस स्वशासी संस्था के सेवा शर्तो के अधीन होगी, संस्था अपनी सेवा शर्तो में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।

नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय

लव-कुश नगर, मूंदी रोड़, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष-0733-2245000, Fax-0733-2245001

Email: deangmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

11. एक बार इस संस्था में नियुक्त होने के पश्चात आपकी सेवायें अन्य संस्थाओं को स्थानांतरित नही होगी।
12. उपस्थिति दिनांक को संपूर्ण प्रमाण पत्र, उपाधियां एवं अन्य प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रतियां जमा करनी होगी तथा मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी।
13. आपको कार्य पर उपस्थित होते समय 100 रु. के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14. संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनैतिक अथवा किसी भी अवैध गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नही होगी।
15. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वेरिफिकेशन के प्रत्याक्षा में की जा रही है अतएव उपयुक्त पाये जाने के उपरांत ही नियुक्ति मान्य होगी।
16. संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित ना पाये जाने पर तथा हडताल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
17. शासन द्वारा समय पर दिये गये निर्देशानुसार सेवा शर्तो में परिवर्तन वेतन संबंधी शर्तो में भी हो सकता है।
18. भविष्य में यदि कभी भी अर्हता संबंधी कोई भी जानकारी असत्य पायी जाती है तो सेवा समाप्त की जा सकेगी।
19. आपकी सेवाएँ शासन द्वारा निर्धारित अनुबंधानुसार की जा रही है।
20. आपको कार्य पर उपस्थित होते समय जन्मतिथि बाबद प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्र, एक सेवा पुस्तिका तथा रु. 3 का ट्रेजरी चालान प्रस्तुत करना होगा।
21. आपकी सेवाएँ माननीय उच्चतम न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगी।

(डॉ. अनंत टी. पवार)
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नंदकुमार सिंह चौहान शा.चि.म. खण्डवा
खण्डवा, दिनांकः 18 /01/2023

क्रमांक/398-406/स्थापना तृ.च./2023

प्रतिलिपिः—

1. अवर सचिव, म.प्र.शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, भोपाल।
3. आयुक्त इंदौर संभाग, इंदौर।
4. संचालक चिकित्सा शिक्षा भोपाल।
5. अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.गा.स्मृ.चि.महा. इन्दौर।
6. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक नं.सिं.चौ.शा.चि.म.खण्डवा।
7. प्राचार्या,शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय इन्दौर।
8. प्रभारी अधिकारी लेखा शाखा नं.सिं.चौ.शा.चि.म.खण्डवा।
9. संबंधित की ओर सूचना एवं पालनार्थ।

(डॉ. अनंत टी. पवार)
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नंदकुमार सिंह चौहान शा.चि.म. खण्डवा